न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 26 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. पुनमाराम पुत्र प्रभुराम जाति कुम्हार निवासीयान छितर का पार, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.डालूराम पुत्र भोमाराम
2.अशोककुमार पुत्र जोराराम जातियान जाट, निवासीयान नागाणा (मूंढों की ढाणी) तहसील व जिला बाड़मेर।
3.मदनलाल पुत्र चुतर्भज जाति अग्रवाल निवासी स्टेशनरोड़ बाड़मेर।
4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 104 / 2002 बअनवान डालूराम वगैरा बनाम पुनमाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18. 05.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री दामोदर कुमार चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 11.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ता एवं उतरदातागण की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा नागाणा में खसरा संख्या 283 रकबा 521.08 बीघा स्थित होना बताते हुए उक्त खसरा में वादी संख्या 01 व 02 ने अपना 1 / 16–1 / 16 हिस्सा पूर्व खातेदार खेमाराम पुत्र तेजाराम जाति कुम्हार से दिनांक 14.08.1989 को जरिये रजिस्ट्री बेचान के क्रय करना बताते हुऐ अपने हिस्से की भूमि बाये मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करने का निवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट / प्रतिवादी द्वारा लिखित जबाव दावा मय प्रतिदावा पेश करते हुए जाहिर किया कि विवादित आराजी में वादीगण का 1 / 16–1 / 16 हिस्सा नहीं है क्योंकि वादीगण को बेचान करने वाले पूर्व खातेदार खेमा के पास मात्र 29.02 बीघा भूमि ही खातेदारी में थी। इसलिये वही अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान करने का हकदार नहीं था। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रतिदावा पूनमाराम के विवादित आराजी में 1 / 8 हिस्सा अर्थात 65.02 बीघा भूमि पैतृक रूप से प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी संख्या 01 पूनमाराम ने पूर्व खातेदार खेमा से 36 बीघा भूमि दिनांक 14.04.1980 को खरीद रखी है। अपीलांट की वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आराजी में 101.02 बीघा भूमि खातेदारी की हैं जिस वह घोषणा एवं अपने कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा करवाने हेतु काउण्टर क्लेम पेश किया। तत्पश्चात वादी द्वारा संशोधित वादपत्र पेश कर बंटवारे के साथ घोषणा का नया अनुतोष जोड़ते हुये विवादित आराजी मौजा नागाणा, तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 457/283 रकबा 123.01 बीघा भूमि में अपने 1/4–1/4 अर्थात 1/2 हिस्से में 61.10.10 बीघा भूमि अपनी खातेदारी की घोषित करने का अनुतोष चाहा जिस पर अपीलांट द्वारा आदेश 06 नियम 18 सपठित धारा 151 सी पी सी का आवेदन पेश कर संशोधन कर बंटवारे के अनुतोष जोड़ने पर आपति पेश की जो जबाव एवं बहस हेतु नियत थी एवं अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट के उक्त आवेदन को कैम्प कोर्ट के दौरान अपीलांट की अनुपस्थिति व अपीलांट को बिना सूचना दिये एकपक्षीय रूप से बिना किसी स्पष्ट आधार पर खारिज कर दिया। जबकि न्याय आपके द्वार अभियान में राज्य सरकार की मंशा दोनों पक्षों के मध्य समझाईश कर उनकी सहमति एवं राजीनामे से निर्णय पारित करें। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश काउण्टर क्लेम पर अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री में प्रतिदावे के सम्बंध में कोई निष्कर्ष अथवा निर्णय पारित नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा लिखित जबाव दावा मय प्रतिदावा पेश करते हुए जाहिर किया कि विवादित आराजी में वादीगण का 1/16–1/16 हिस्सा नहीं है क्योंकि वादीगण को बेचान करने वाले पूर्व खातेदार खेमा के पास मात्र 29.02 बीघा भूमि ही खातेदारी में थी। इसलिये वही अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान करने का हकदार नहीं था। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रतिदावा पूनमाराम के विवादित आराजी में 1/8 हिस्सा अर्थात 65.02 बीघा भूमि पैतृक रूप से प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी संख्या 01 पूनमाराम ने पूर्व खातेदार खेमा से 36 बीघा भूमि दिनांक 14.04.1980 को खरीद रखी है। अपीलांट की वादग्रस्त आराजी में 101.02 बीघा भूमि खातेदारी की हैं जिस वह घोषणा एवं अपने कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा करवाने हेतु काउण्टर क्लेम पेश किया। तत्पश्चात वादी द्वारा संशोधित वादपत्र पेश कर बंटवारे के साथ घोषणा का नया अनुतोष जोड़ते हुये विवादित आराजी मौजा

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नागाणा, तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 457/283 रकबा 123.01 बीघा भूमि में अपने 1/4–1/4 अर्थात 1/2 हिस्से में 61.10.10 बीघा भूमि अपनी खातेदारी की घोषित करने का अनुतोष चाहा जिस पर अपीलांट द्वारा आदेश 06 नियम 18 सपठित धारा 151 सी पी सी का आवेदन पेश कर संशोधन कर बंटवारे के अनुतोष जोड़ने पर आपति पेश की जो जबाव एवं बहस हेतु नियत थी एवं अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट के उक्त आवेदन को कैम्प कोर्ट के दौरान अपीलांट की अनुपस्थिति व अपीलांट को बिना सूचना दिये एकपक्षीय रूप से बिना किसी स्पष्ट आधार पर खारिज कर दिया। जबकि न्याय आपके द्वार अभियान में राज्य सरकार की मंशा दोनों पक्षों के मध्य समझाईश कर उनकी सहमति एवं राजीनामे से निर्णय पारित करें। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश काउण्टर क्लेम पर अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री में प्रतिदावे के सम्बंध में कोई निष्कर्ष अथवा निर्णय पारित नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले को अंतिम निस्तारण करते हुए अपीलांट द्वारा पेश प्रतिदावे का क्या किया स्पष्ट नहीं है। खारिज करने के कारण नहीं बताये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया। वर्ष 2006 में कैयर्न एनर्जी में लगभग 72 बीघा भूमि गयी। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट अनुपस्थित होता तो अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2016 उसका विवरण होता जबकि इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। दिनांक 28.05.2017 को विभाजन प्रस्ताव मौका रिपोर्ट में स्पष्ट विवरण है कि उभयपक्ष में सहमति के प्रयास किये गये। हस्तगत वाद में पारित अंतिम डिक्री दिनांक 13.06.2017 की पालना में नामान्तरकरण हो गया है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट एवं पक्षकारान की अनुपस्थिति में पारित की गई है। अपीलांट गांव के गरीब एवं अनपढ व्यक्ति है जिनको कानून की जानकारी

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नहीं है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने के 01 माह के भीतर अपील प्रस्तुत कर दी गई है तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय में यह कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांट द्वारा पेश आवेदन अंतर्गत आदेश 06 नियम 11 सपठित धारा 151 सी पी सी किस कारण से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट मुख्यालय ग्राम पंचायत मुढों की ढाणी में पारित किया गया है जिसकी सूचना अपीलांट को दी गई हो ऐसा पत्रावली पर कोई दस्तावेज या नोटिस तामिल सुना नहीं है। न्याय आपके द्वार कैम्प में आपसी समझाईश, लोकअदालत की भावना एवं राजीनामे के आधार पर मामले का निस्तारण होना चाहिये था जबकि हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। मामले में अंतिम डिक्री जारी हो चुकी है परन्तु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रतिदावे पर किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया गया है। तथा अपीलांट को राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है जबकि तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। मौका रिपोर्ट दिनांक 28.05.2017 में स्पष्ट विवरण है कि "तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक 4923 दिनांक 23.09.2016 के क्रम में" इससे यह साबित होता है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर न जाकर अपने अधीनस्थ आई एल

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आर को मौके पर भेजा जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। हस्तगत अपील प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है जबकि दौराने अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री भी जारी की जा चुकी है जो विधि विरूद्ध एवं अपीलांट के हितों के विपरीत है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर देना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के आधार पर आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 104/2002 बअनवान डालूराम वगैरा बनाम पुनमाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2016 एवं 13.06.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर अपीलांट द्वारा पेश प्रतिदावे का विधि सम्मत निस्तारण करते हुए तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

11/10/19

(नाथूसिंह राजोड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/10/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner